

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 14.09.2026 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- थाना डेरापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 159/19 धारा 323/504/506/325 IPC से सम्बन्धित अभियुक्त चरन सिंह पुत्र भूरा सिंह उम्र 47 वर्ष निवासी मिर्जापुर डेरा थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना डेरापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 166/24 धारा 115/352/351(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त सचिन शंकर पुत्र अमृत लाल उम्र 31 वर्ष निवासी मवई मुक्त थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 297/26 धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गोलू पुत्र मुन्ना नि0 बुद्ध नगर शंकरगंज झींझक थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात के पास से चोरी की मोटर साइकिल UP 78 FM 4668 रंग ग्रे व एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद होने के सम्बंध में गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना देवराहट पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.सन्दीप कुमार पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम जारी थाना देवराहट जिला कानपुर देहात उम्र करीब 40 वर्ष 2.राजेन्द्र पुत्र रामजश निवासी कलुआताला थाना देवराहट जिला कानपुर देहात उम्र करीब 45 वर्ष 3.अनूप कुमार पुत्र संजय दिवाकर निवासी ग्राम बम्हरौली घाट थाना देवराहट जिला कानपुर देहात उम्र करीब 19 वर्ष 4.मो0 जमीर पुत्र मो0 सईद निवासी अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 37 वर्ष के द्वारा ग्राम बम्हौली के संजय दिवाकर के बने मकान में ताश पत्तों से हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर अ0सं0- 53/2026 धारा- 112 BNS व 3/4 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 17 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रनियां पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों व थाना शिवली पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया ।